उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-3
संख्या-15/2017/एस-424/दस-2017-ब(8)/2015
लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (खजाना तथा लेखा प्रशासन) के आयोजनेत्तर तथा आयोजनागत पक्ष के अधोलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय एवं तत्क्रम में हुई बचत जिसका लेखाशीर्षक वार/मदवार विस्तृत विवरण अनुलग्नक -1 में प्रदर्शित किया गया है की कुल धनराशि रू0 16846 हजार(रूपये एक करोड अरसठ लाख छियालीस हजार मात्र) को एततद्वारा वित्त विभाग में पुनर्ग्रहित किया जाता है:-

क्रं0	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि(मूल/अनुपूरक/नई मांग पुनर्विनियोग)	व्यय धनराशि	बचत धनराशि जिसे पुनर्ग्रहित किया जाना है।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
	आयोजनेत्तर				
1	आयोजनेत्तर-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03 वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान	72919	56073	16846	प्राविधानित धनराशि/व्यय/बचत का विवरण अनुलग्नक-1 संलग्न है।
	योग			16846	

(रूपये एक करोड. अरसठ लाख छियालीस हजार मात्र)

(राज रतन)
उपसचिव।

[redacted]

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2017 /एस-3-424(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1
6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0 लखनऊ ।
7- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पत्र संख्या 15/2017/एस-424/दस-2017-ब(8)/2015 दिनांक 31-03-2017 का संलग्नक-1

कार्यालय - निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0 लखनऊ

अनुदान संख्या-63

लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन- आयोजनेत्तर

-003-प्रशिक्षण

-03- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (आकडे. हजार रूपये में)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के व्ययाधिक्य एवं बचतों का अन्तिम विवरण-पत्र

क्रमांक	मानक मद	**वर्ष2016-17 का अनुदान**			दिनांक 01-04-2016 से 31-03-2017 तक का वास्तविक व्यय	**सीमाधिक व्यय**		**बचतें**		अभ्युक्ति
		मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान (3+4)		अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि	जिसके लिए अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया	अनुदान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग हेतु जिस धनराशि को संक्रमित किया गया	जिसके लिए नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्त विभाग को प्रतिवेदित करने के लिए प्रस्तावित किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-वेतन	15800		15800	16680			0	-880	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के फलस्वरूप मंहगाई भत्ते का एक बडा अंश वेतन में समाहित किये जाने के कारण व्ययाधिक्त परिलक्षित हो रहा है जिसके लिये शा0 सं0 बी0-3-1497/दस-2010-100(4)-बा0 मै0 -टी0सी0-।। दिनांक 21-06-2010 की व्यवस्थानुसार मानक मद 03 - महगाई भत्ता की बचत को ग्रुपिंग विधि द्वारा उपयोग में ले लिया गया ।
2	02-मजदूरी	400	0	400	94	0			306	मितव्ययता के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	03-मँहगाई भत्ता	21488	0	21488	13603	0		0	7885	पदो के रिक्त रहने एवं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के कारण मँहगाई भत्ते को वेतन में समाहित किये जाने के कारण इस मद में बचत परिलक्षित हो रही है। इस बचत को शासनादेश संख्या बी0-3-1497/दस-2010-100(4)-बा0 मै0-टी0सी0-।। दिनांक 21-06-2010 की व्यवस्थानुसार मानक मद 01 -वेतन मद के व्ययधिक्त को पूरा करने के लिए रू0 8.80 लाख ग्रुपिंग विधि द्वारा उपयोग में ले लिया गया ।
4	04-यात्रा भत्ता	100		100	23				77	मितव्ययता के दृष्टिगत अपरिहार्य यात्राओं की ही अनुमति प्रदान किये जाने के कारण
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	0	100	22				78	मुख्यालय के बाहर से मात्र एक ही स्थानानतरण होने के कारण
6	06-अन्य भत्ते	2180		2180	2141				39	पदो के रिक्त रहने के कारण
7	07-मानदेय	50		50	29				21	मितव्ययता के दृष्टिगत
8	08-कार्यालय व्यय	2000		2000	1292	0	0	0	708	मितव्ययता के दृष्टिगत
9	09-विद्युत देय	8500		8500	4920	0		0	3580	शा0 सं0 बी0-3-1497/दस-2010-100(4)-बा0 मै0-टी0सी0-।। दिनांक 21-06-2010 की व्यवस्थानुसार इस बचत को मानक मद 10-जलकर/जल प्रभाग एवं 17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद के व्ययधिक्य को पूरा करने हेतु ग्रुपिंग विधि द्वारा उपयोग में ले लिया गया ।
10	10-जलकर /जल प्रभार	600		600	2809	0		0	-2209	शा0 सं0 बी0-3-1497/दस-2010-100(4)-बा0 मै0-टी0सी0-।। दिनांक 21-06-2010 की व्यवस्थानुसार इस व्ययधिक्य को पूरा करने के लिए मानक मद 09-विद्युत देय मद की बचत को ग्रुपिंग विधि द्वारा उपयोग में ले लिया गया ।
11	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	300		300	72	0			228	मितव्ययता के दृष्टिगत
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300		300	222				78	मितव्ययता के दृष्टिगत

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	13-टेलीफोन पर व्यय	400		400	304				96	मितव्ययता के दृष्टिगत एवं कालदरों में कमी के कारण
14	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों /मोटर गाडियों का क्रय	1		1	0				1	मितव्ययता के दृष्टिगत
15	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1200		1200	375	0			825	नये वाहनो के कारण अनुरक्षण में अपेक्षाक्त कम व्यय होने तथा मितव्ययता के दृष्टिगत
16	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	5000		5000	4953	0		0	47	वास्तविक देयक के आधार पर
17	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1000		1000	2032	0		0	-1032	शा0सं0 बी0-3-1497/दस-2010-100(4)-बा0 मै0-टी0सी0-।। दिनांक 21-06-2010 की व्यवस्थानुसार इस व्ययधिक्य को पूरा करने के लिए मानक मद 09-विद्युत देय मद की बचत को ग्रुपिंग विधि द्वारा उपयोग में ले लिया गया ।
18	18-प्रकाशन	900		900	146	0		0	754	वित्त पथ का मुद्रण न किये जानें एवं मितव्ययता के दृष्टिगत
19	26-मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयत्र	500		500	49				451	मितव्ययता के दृष्टिगत
20	29-अनुरक्षण	3500	0	3500	1453				2047	केवल अपरिहार्य कार्यो को कराये जाने के कारण मितव्ययता के दृष्टिगत
21	42-अन्य व्यय	200	0	200	0	0		0	200	मितव्ययता के दृष्टिगत
22	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रसांगिक व्यय	300		300	6	0		0	294	नामांकन न प्राप्त होने के कारण इस मद में बचत परिलक्षित हो रही है।
23	45-अवकाश	100		100	4				96	अर्ह अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आवेदन न किये जाने के

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	यात्रा व्यय									कारण
24	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	6000		6000	3921				2079	अर्ह अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आवेदन न किये जाने के कारण
25	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	700		700	239				461	मितव्ययता के दृष्टिगत
26	49-चिकित्सा व्यय	1200	0	1200	658	0			542	आवेदन प्राप्त न हो पाने के कारण
27	51-वर्दी व्यय	100		100	26				74	सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी नियमित कर्मचारियो के स्थान पर नियुक्तियां न होने तथा वर्दी हेतु पात्रता न होने के कारण
	योग	72919	0	72919	56073	0	0	0	16846	

(रूपये एक करोड. अरसठ लाख छियालीस हजार मात्र)

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।